



2026:AHC-LKO:40812

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत

आवेदन

संख्या - 400 / 2026

नजफ़ अब्बास उर्फ़ नजफ़ अब्बास

.... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग,

लखनऊ के माध्यम से और अन्य

.....विरोधी पक्ष (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : सैयद अहमद मेहदी, सानिया अंसारी

विरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता , अजय कुमार पांडेय

न्यायालय सं. - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल अतिरिक्त शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार पांडे की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष दुबे को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. यह अग्रिम ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा वाद अपराध संख्या 278/2023, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 308, 323, 352, 504, 506, थाना- इनायत नगर, ज़िला- अयोध्या में अग्रिम ज़मानत पाने के अनुरोध के साथ दाखिल किया गया है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत कार्यवाही पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए अग्रिम ज़मानत का यह आवेदन स्वीकार्य नहीं है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के **आशा दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य आपराधिक अपील संख्या 4564/2024**, वाद में दिए गए निर्णय का हवाला दिया और कहा कि सिर्फ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू होने के आधार पर आवेदक को अग्रिम ज़मानत आवेदन दाखिल करने से नहीं रोका जा सकता।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों और आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताए गए निर्णय पर विचार करते हुए जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस वाद में माना था कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत घोषणा की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी अग्रिम ज़मानत के आवेदन पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है इसलिए, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज किया जाता है।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है और जाँच के दौरान, उसने जाँच अधिकारी द्वारा दी गई स्वतन्त्रता का कभी दुरुपयोग नहीं किया। वे यह भी कहते हैं कि आवेदक के आपराधिक इतिहास के बारे में पूरक शपथपत्र के अनुच्छेद 2 में बताया गया है। वे आगे कहते हैं कि आवेदक को समन के बारे में पता नहीं था और जब उसे पता चला कि आरोप पत्र दाखिल हो गया है, तो उसने तुरंत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अग्रिम ज़मानत के लिए आवेदन दिया, लेकिन विचारण न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया; इसलिए, आवेदक अग्रिम ज़मानत का हकदार है।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता आवेदक के आवेदन का ज़ोरदार विरोध करते हैं, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं करते कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि आवेदक ने जाँच के दौरान जाँच अधिकारी द्वारा दी गई स्वतन्त्रता का दुरुपयोग किया हो, और कथित अपराध सात वर्ष से कम दण्ड वाला है।

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों और प्रथम सूचना रिपोर्ट व अन्य प्रासंगिक सामग्रियों को देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि कथित अपराध सात वर्ष से कम दण्ड वाला है और जाँच के दौरान उसे अभिरक्षा में नहीं लिया गया था, और इस मामले में अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आवेदक अग्रिम ज़मानत का हकदार है। आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से दो म ह के भीतर विचारण न्यायालय में 20,000 रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करे। यदि जांच अधिकारी या जांच एजेंसी आवेदक को अभिरक्षा में लेती है, तो उसे आज से दो म ह के अंदर सक्षम न्यायालय के सामने ₹50,000 का व्यक्तिगत बन्धपत्र और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार पेश करने पर तत्काल अग्रिम ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते ये शर्तें पूरी हों:

- (i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा जो उस अपराध जैसा हो जिसके लिए उस पर आरोप है या जिस अपराध को करने का उस पर संदेह है।
- (ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के सामने उन तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा जो (1) वाद की शुरुआत, (2) आरोप निर्धारित करने और (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के लिए निर्धारित की गई हैं। यदि विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर है या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को ज़मानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग मान सकता है और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है।

10. उपरोक्त निर्देशों के साथ, अग्रिम ज़मानत की आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

9 जून, 2026

गौरव/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।